

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :-

6-5-14

अधिसूचना सं.-01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-09/2014/राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-03/एम.-06(प्रो.)-02/2002-5207/वि., राँची दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को संवर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12/24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 एवं 06 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ उच्च संवर्गीय पद पर उपलब्ध होने की तिथि तक दिया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	आई.डी.	पद सोपान में योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि		अभ्युक्ति
				प्रथम लाभ वेतनमान 10000-325-15200	द्वितीय लाभ वेतनमान 14300-400-18300	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नन्द किशोर सिन्हा	900	02.07.74	देय नहीं	09.08.99	
2.	श्री प्रेमनन्दन	1272	06.01.76	09.08.99	06.01.00	

- (i) यह योजना दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है।
- (ii) यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- (iii) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 की कड़िका-X!! में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। भविष्य में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5485

राँची, दिनांक:-

6-5-14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों (सी.डी. सहित) के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(अविनाश कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5485

राँची, दिनांक :-

6-5-14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, राँची, पो0-हिन्, राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(अविनाश कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5485

रॉची, दिनांक :-

6-5-14

प्रतिलिपि:-सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

5-5-14